बर्खी मरांडी और अन्य बनाम भारत संघ

347

(रवि रंजन, जे.)

डॉ. रवि रंजन जे के समक्ष,

बर्खी मरांडी और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ -उत्तरदाता

2012 का एफ. ए. ओ. संख्या .1339

30 जनवरी, 2019

रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना क्षतिपूर्ति नियम, 1999-S.121,123C-रेलवे अधिनियम, 1989-S.124A-वैध टिकट से आगे ट्रेन में यात्रा करते हुए मृत व्यक्ति-दुर्घटना में मृत्यु-अप्रिय घटना-ब्याज के साथ वैधानिक मुआवजे के हकदार हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, तदनुसार, मेरा मानना है कि मृतक को प्रामाणिक यात्री की परिभाषा के मापदंडों के भीतर माना जाना चाहिए और दावेदार रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना क्षतिपूर्ति नियम, 1990 की अनुसूची के तहत प्रदान किए गए वैधानिक मुआवजे के हकदार होंगे, जो कि 4 लाख रुपये की एकमुश्त राशि है।दावेदार दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से मुआवजे की राशि की प्राप्ति की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भी हकदार होंगे।

(पैरा 12)

सोमेश गुप्ता, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

जी. स. बाजवा , अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/भारत संघ के लिए।

डॉ. रावी रंजन, जे.

(3) मैंने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील को सुना है।

(4) 25.11.2011 दिनांकित निर्णय और पुरस्कार मामले सं. रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा ओ. ए.-II 84/2010 को इस अपील में चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा हालांकि न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक की मृत्यु रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1999 (जिसे बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार अप्रिय घटनाओं में हुई थी, हालांकि, यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि उसे प्रामाणिक

यात्री के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस तरह, वह किसी भी मुआवजे की राशि का हकदार नहीं होगा।

(5) लघु तथ्य जो पर विचार करने के लिए आवश्यक होंगे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

यह पद निम्नानुसार गिना गया है:(6) दावेदारों द्वारा एक दावा आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि मृतक शिकार मुर्मू की ट्रेन से गिरने के कारण एक अप्रिय घटना में मृत्यु हो गई और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें घातक चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह, दावेदार अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ रेलवे अधिनियम की धारा 124 (ए) के संदर्भ में प्रदान किए गए वैधानिक मुआवजे के हकदार थे। आवेदन में कहा गया है कि मृतक ने अपने परिवार के सदस्य को सूचित किया कि वह आजीविका कमाने के लिए काम की तलाश में जा रहा था और उसी दिन यानी 06.12.2009 पर लगभग 21 बजे:31 घंटों बाद वह कालका की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदने के बाद ट्रेन में सवार हो गए।हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यात्रा बहुत लंबी थी यानी आसनसोल से कालका तक, और आगे, क्योंकि उसे अंबाला कैंट से ट्रेन बदलनी थी।लेकिन वह अपनी सीट पर सो गए और जब ट्रेन अंबाला कैंट पहुंची तो वह ट्रेन नहीं बदल सके और अपनी यात्रा जारी रखी।जब ट्रेन चावपायाल रेलवे स्टेशन के पास किमी नंबर .342/11-13 पर पहुंची, तो मृतक दुर्घटनावश ट्रेन से नीचे गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं।एक राहगीर द्वारा दी गई जानकारी पर, संबंधित स्टेशन मास्टर ने जीआरपी, चावपायाल को एक ज्ञापन जारी किया और उसके बाद, जीआरपी मौके पर पहुंची, हालांकि, घायल को पहले ही पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल, खन्ना में भर्ती कराया गया था, जहां उसने घातक चोटों के कारण दम तोड़ दिया।यह भी दावा किया जाता है कि जमातलशी पर जीआरपी कर्मियों ने एक रेलवे टिकट, फोन नंबर वाली एक पर्ची और एक मतदाता कार्ड बरामद किया।आवेदकों को सूचित किया गया और वे सिविल अस्पताल, खन्ना पहुंचे और शव की पहचान की।प्रत्यर्थी-रेलवे ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए लिखित बयान दायर करके दावा याचिका का विरोध किया है कि मृतक की मृत्यु रेलवे की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण हुई थी या इसे अधिनियम की धारा 121 और 123 (सी) के मद्देनजर कोई अप्रिय घटना कहा जा सकता है। लिखित बयान में आगे कहा गया है कि मृतक प्रामाणिक यात्री नहीं था।

(7) प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया:

(1) क्या मृतक प्रामाणिक यात्री था, जैसा कि आरोप लगाया गया है?

(2) क्या कथित घटना रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के साथ पठित धारा 123 (सी) के दायरे में आती है?

(3) क्या आवेदक केवल मृतक पर निर्भर हैं?

बर्खी मरांडी और अन्य बनाम भारत संघ

(रवि रंजन, जे.)

(4) राहत मिलती है।

(8) यह देखा गया है कि आवेदकों ने मृत्यु प्रमाण पत्र, जांच रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आदि और जीआरपी द्वारा दर्ज कांस्टेबल तेजिंदर सिंह का बयान, सहायक स्टेशन मास्टर, चावा पायल द्वारा जीआरपी को जारी रेलवे स्टेशन ज्ञापन की प्रति के साथ-साथ मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र और रेलवे टिकट की एक प्रति सहित कई दस्तावेज भी रिकॉर्ड में लाए हैं। रेलवे ने कुछ दस्तावेजों के साथ डी. आर. एम. जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(9) ट्रिब्यूनल ने हालांकि यह माना है कि मृतक के पास रेलवे टिकट था जो जमातलाशी में बरामद किया गया था, लेकिन टिकट आसनसोल से कालका के लिए था, जबकि उसका शव लुधियाना की ओर अलग रास्ते पर मिला है, इसलिए उसे एक प्रामाणिक यात्री होने का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास उस मार्ग का टिकट नहीं था।साथ ही यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह पता चलता है कि मृतक की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी जो अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत परिभाषित अप्रिय घटना के मापदंडों के अंतर्गत आती है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायाधिकरण पहले ही यह मान चुका है कि मृतक एक प्रामाणिक यात्री नहीं था, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दावेदार किसी भी वैधानिक मुआवजे के हकदार नहीं होंगे और दावा याचिका को खारिज कर दिया है।

(10) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने दावेदारों के वास्तविक मामले पर विचार नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है कि किसी कारण से, क्योंकि मृतक प्रासंगिक समय पर सोया होगा, वह ट्रेन से उतर नहीं सका और उसी ट्रेन में अपनी यात्रा जारी रखी और उसके बाद उसका शव बरामद किया गया।इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि उसकी मृत्यु किसी अप्रिय घटना में नहीं हुई थी और इस तरह, जो न्यायाधिकरण द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है।भले ही उन्होंने उसी ट्रेन में यात्रा जारी रखी हो, इसके अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था कि इसी कारण से वे ट्रेन से उतरना भूल गए और कालका के लिए ट्रेन बदलने के बजाय उसी ट्रेन में अपनी यात्रा जारी रखी।चूंकि उनके पास वैध टिकट था, इसलिए उन्हें यह नहीं माना जा सकता था कि वह एक प्रामाणिक यात्री नहीं थे।

(11) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-रेलवे की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा है कि उनके पास लुधियाना लाइन का टिकट नहीं था।

(12) प्रतिद्वंद्वी विवाद पर विचार करने पर यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से अपीलार्थी की ओर से उठाए गए निवेदन में बल पाता है:-

यह माना जाता है कि मृतक के पास आसनसोल से कालका का वैध टिकट था।अंबाला कैंट में। जंक्शन पर उसे ट्रेन बदलनी थी, और कालका के लिए ट्रेन में चढ़ना था , लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने उसी ट्रेन में अपनी यात्रा जारी रखी।दावेदार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण कि वह सो गया होगा और उतरना भूल गया होगा, को स्वीकार करना होगा क्योंकि लुधियाना की ओर उसी ट्रेन में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं हो सकता है।डी. आर. एम. रिपोर्टमे भी यह माना गया है की यह रेल दुर्घटना थीI।एक बार जब दावेदारों ने उपरोक्त तथ्य के बारे में हलफनामा और प्रमुख साक्षय दाखिल करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, तो रेलवे पर यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होगी कि उसी ट्रेन में बने रहने का अन्य कारण क्या हो सकता है और दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है।रेलवे उपरोक्त दावे का खंडन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण या कोई सबूत नहीं दे सका।वास्तव में, यह मामला स्वीकार किया जाता है कि यह रेल दुर्घटना थी।ऐसी स्थिति में, यह एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है कि मृतक अनजाने में और गलती से ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि इसके लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।ऐसी स्थिति में, चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा पहले से ही यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि धारा 123 (सी) को देखते हुए दुर्घटना एक अप्रिय घटना थी, मेरी सुविचारित राय में, दावेदारों को इस आधार पर निष्कासित नहीं किया जा सकता है कि मृतक एक प्रामाणिक यात्री नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास आसनसोल से कालका का वैध टिकट था।इस संबंध में भारत संघ बनाम रीना देवी 1 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल यह तथ्य कि मृतक के पास टिकट था या उसके पास टिकट नहीं था, दावा स्वीकार करने या दावेदारों को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।सब कुछ स्थिति और उपस्थित परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।वर्तमान मामले में, मेरी सुविचारित राय में, दावेदार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है कि आसनसोल से कालका जा रहा व्यक्ति अंबाला में ट्रेन क्यों नहीं बदलेगा और लुधियाना की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा।

(13) तदनुसार, मेरा मानना है कि कमी को वास्तविक यात्री की परिभाषा के मापदंडों के भीतर विचार किया जाना चाहिए और दावेदार रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1990 की अनुसूची के तहत प्रदान किए गए वैधानिक मुआवजे के हकदार होंगे, जो कि एकमुश्त रु 4 लाख।

1 2018 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 40

बर्खी मरांडी और अन्य बनाम भारत संघ

351

(रवि रंजन, जे.)

दावेदार दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से मुआवजे की राशि की प्रापति की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज के भी हकदार होंगे।

(14) परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है।हालांकि, पार्टियां अपना खर्च खुद वहन करेंगी।

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंजू रानी

अनुवादक